उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 220 /XXIII-1/2023/04(03)/2023
देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम–1910 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) की धारा–40, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम–1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या–1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023

1. **राजस्व का निर्धारण :–**

1.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में देशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान पर देय कुल राजस्व में 15% एवं विदेशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान पर कुल राजस्व में 10% वृद्धि करते हुए जनपद का राजस्व निर्धारण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकेगा। जिलाधिकारी द्वारा मदिरा की दुकानों का राजस्व निर्धारण तर्कसंगत व मदिरा दुकान की क्षमता के आधार पर किया जायेगा।

1.2 **मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–**

(क) देशी मदिरा की दुकान हेतु–वर्ष 2023–24 हेतु देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1% के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) विदेशी मदिरा की दुकान हेतु– वर्ष 2023–24 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1% के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

1.3 **मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत डूयटी का निर्धारणः–**

उपरोक्त नियम–1.1 के अर्न्तगत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–1.2 के अर्न्तगत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूत डूयूटी निर्धारित की जायेगी।

2. **पात्रताः–**

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होगी।

2.1 नवीनीकरण के पश्चात् लॉटरी द्वारा व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2.5% के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

2.2 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र के रूप मे स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.3 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 01 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.4 आवेदक को आवेदन के साथ जनपद का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

2.5 आवेदक को मदिरा दुकान के प्रतिवर्ष कुल राजस्व के 15% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप जी–39 में प्रस्तुत करना होगा।

a) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की एफ0डी0आर0 जोकि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, स्वीकार की जा सकेगी।

b) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

c) हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर की राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने हो) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

2.6 देशी/विदेशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) देय होगी।

3. **देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन/व्यवस्थापनः–**

3.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में उन्ही देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित संम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुयी हो। मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के निर्धारित/राजस्व में निम्न प्रकार प्रतिशत वृद्वि कर सम्बन्धित मदिरा दुकान के नवीनीकरण करने की व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

a) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु देशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान के कुल राजस्व में 15% वृद्वि करते हुए राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

b) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विदेशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान के कुल राजस्व में 10% वृद्वि करते हुए राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

c) नवीनीकृत किये जाने वाली मदिरा की दुकानों की समस्त देयताएँ नवीनीकरण की तिथि तक जमा होनी चाहिए।

d) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित राजस्व का नवीनीकरण शुल्क मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित किये गये राजस्व का 1% नवीनीकरण की प्रकिया के समय लिया जायेगा।

e) नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ नवीनीकरण शुल्क ई चालान के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

f) लाईसेंस प्राधिकारी नवीनीकरण की स्वीकृति की सहमति जाँचोपरान्त निर्गत करेंगें।

g) मदिरा के दुकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क लाईसेंस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की गयी नवीनीकरण स्वीकृति के एक दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

h) मदिरा दुकानों के हेतु निर्धारित प्रथम प्रतिभूति नवीनीकरण की तिथि से सात दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

i) मदिरा दुकानों के हेतु निर्धारित द्वितीय प्रतिभूति नवीनीकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

j) अनुज्ञापी को मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 15% की धनराशि की हैसियत का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में 15.04.2023 से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3.2 नियम 3.1 के अनुसार जो मदिरा की दुकाने नवीनीकृत नहीं हो पायेंगी, उन मदिरा दुकानों को उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। अवशेष दुकानों हेतु नवीनीकृत दुकानों का राजस्व कुल जनपद हेतु आवंटित राजस्व से घटाकर शेष राजस्व को मदिरा दुकान की क्षमता के आधार पर निर्धारित कर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

3.3 नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त अधिकतम दो आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदक, सह आवेदक के साथ आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में दोनों आवेदकों की हैसियत जोड़कर, हैसियत की गणना की जा सकती है। आबकारी राजस्व की जिम्मेदारी दोनों ही आवेदकों की सम्मिलित रूप से होगी।

3.4 एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी (नवीनीकरण तथा आवंटन)। यदि किसी आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार मदिरा दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदक को अधिकतम दो मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा दुकानों हेतु उसके द्वारा किये गये आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3.5 देशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात अवशेष दुकानों के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 60,000/— प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा। प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय होगा।

3.6 विदेशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात अवशेष दुकानों के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 60,000/— प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा। प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय होगा।

3.7 नियम 3.5 व 3.6 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क तथा नियम 2.1 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर राशि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से देय होगा।

3.8 केवल निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार्य किये जायेंगे।

3.9 आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर राशि से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होगें।

3.10 उपरोक्त दोनों चरणों के उपरान्त भी यदि मदिरा दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर मदिरा दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राजस्व पर सम्बन्धित मदिरा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जा सकता है।

3.11 आवेदक को मदिरा की फुटकर दुकान वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु आवंटित की जायेगी। उक्त वित्तीय वर्ष हेतु दुकानवार राजस्व नियम 1.1 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जाता है।

3.12 प्रदेश के हरिद्वार व उधमसिंहनगर जनपद को छोडकर जनपद देहरादून की कालसी तथा चकराता तहसील, जनपद नैनीताल की नैनीताल, बेतालघाट, धारी व कौश्याकोटोली तहसील तथा अन्य 09 पर्वतीय जनपदों में मदिरा दुकानों हेतु कुल राजस्व के 5 प्रतिशत् अनुज्ञापन शुल्क के रूप में जमा करने के उपरान्त ही 01 उप दुकान खोले जाने की अनुमति होगी। जिसको जिलाधिकारी की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

4. <u>मदिरा दुकान हेतु निर्धारित औपचारिकताएँ</u>

सफल अनुज्ञापी को निम्न निर्धारित औपचारिकताएँ उनके सम्मुख निर्धारित दिवसों के भीतर पूर्ण न करने पर उसको आवंटित मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः—

4.1 आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र दुकान के नवीनीकरण की तिथि/आवंटन की तिथि से 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

4.2 अनुज्ञापी द्वारा वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (हैसियत प्रमाण पत्र निर्धारित राजस्व का 15% होना अनिवार्य है)—दिनांक 15.04.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

4.3 आवेदक को मदिरा की दुकान के आवंटन पर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा—30 दिवस।

4.4 आवेदक को आवंटित मदिरा दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क कुल राजस्व का 01 प्रतिशत (नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार) तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।

4.5 प्रथम प्रतिभूति की धनराशि को नकद 07 दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारण्टी के रूप में मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के 30 (तीस) दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति पृथक—पृथक कुल वार्षिक न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के 1/12 भाग के बराबर होगी।

5 **देशी मदिरा**

5.1 देशी मदिरा पर रू० 25/— प्रति ए०एल० की दर से उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) देय होगी।

5.2 देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब की आपूर्ति की जायेगी।

5.3 देशी मदिरा की 36% v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निम्न प्रकार रहेंगी:–

क्र०सं०	एम0जी0डी0 (प्रति बल्क लीटर) (रू0 में)
	2023–24
01	270

25%v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी समानुपातिक आधार पर ली जायेगी।

5.4 मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 5.3 के अनुसार निर्धारित प्रति लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी ब०ली० में माह में प्राप्त की जा सकेगी।

5.5 प्रदेश में देशी मदिरा के पव्वौं (NIPS) को टैट्रा पैक में बिक्री किये जाने की अनुमति अनुमन्य की जाती है। केवल सहकारी संस्था द्वारा संचालित आसवनी को यदि टैट्रा पैक में मदिरा की आपूर्ति में कठिनाई आती है, तो राज्य हित में वह पूर्व की भांति कांच की बोतलों में मदिरा की आपूर्ति कर सकेगी। टैट्रा पैक 200 ml धारिता के होगें। प्रदेश में सहकारी संस्था के अतिरिक्त देशी मदिरा के अन्य आपूर्तिकर्ताओं को दिनांक 30.04.2023 तक टैट्रा पैक की व्यवस्था करनी होगी, इस निमित छूट प्रदान करने का अधिकार शासन को होगा।

6 **विदेशी मदिरा :–**

6.1 विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगी:–

विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई०डी०पी० वार निम्नवत रहेगी:–

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
		2023–24
1	रू0 50.00 तक	342
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	367
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	392
4	रू0 75.01 से रू0 90.00 तक	435
5	रू0 90.01 से रू0 120.00 तक	495
6	रू0 120.01 से रू0 150.00 तक	540
7	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	550
8	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	600
9	रू0 500.01 से अधिक	625

6.2 अन्य मामलों में विदेशी मदिरा के उत्पाद शुल्क की दर रू० 350/–प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए०एल०) रहेगी।

6.3 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर होगी;

परन्तु विदेशी मदिरा की एम0जी0डी0 की दरों का निर्धारण इस प्रकार से किया जायेगा कि प्रति बोतल उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मदिरा विक्रय मूल्य में लगभग रू० 20/– प्रति बोतल से अधिक का अन्तर न हो।

परन्तु यह और कि अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 10/– तथा रू0 20/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पौव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी व एक्साईज ड्यूटी की गणना वास्तविक स्लैब के आधार पर की जायेगी। अन्य धारिता की गणना बोतल के समानुपातिक आधार पर होगी।

6.4 विदेशी मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 6.3 के अनुसार निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी बोतलों में माहवार प्राप्त की जा सकेगी।

6.5 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०–5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु सुविधानुसार एफ०एल०–5 ई० लाईसेंस लेना होगा। एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 40% प्रतिशत के बराबर होगी।

7. **प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापनः–**

7.1 राज्य में बीयॅर की बिक्री हेतु व्यवस्थित बीयर की दुकानों का न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही सृजन किया जायेगा। वर्तमान में संचालित बीयर की दुकानों से प्राप्त राजस्व को जनपद में मदिरा की दुकानों के राजस्व में समाहित किया जायेगा।

7.2 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से बीयॅर/वाईन/आर०टी०डी० की बिक्री की जा सकेगी।

8. **बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की निकासी पर आबकारी अभिकर, एम०जी०डी० तथा एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–**

8.1 संदेय उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) की दर पाँच प्रतिशत (5% v/v) तक तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर निम्नानुसार रहेगीः–

क्र० सं०	बीयॅर का प्रकार	उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) (प्रति ब०ली०) (रू० में)
		2023–24
1	Mild Beer (upto 5% V/v)	42
2	Strong Beer (Above 5% V/v)	69

वाईन तथा आर०टी०डी० पर भी बीयॅर के समतुल्य आबकारी अभिकर देय होगा।

8.2 **बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की निकासी पर देय एम०जी०डी०ः–**

बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की निकासी पर 10 रूपये प्रति बोतल न्यूनतम गारण्टीड अभिकर लिया जायेगा।

8.3 बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

क्र०सं०	विवरण	2023–24
1	बीयर (एक) बियर 650 एम०एल० की 12 बोतल अथवा 325 एम०एल०/330 एम०एल० की 24 पैक की पेटी	रू0 360
	(दो) 500 एम०एल० के 24 पैक की पेटी।	रू0 554
2	वाईन 750 एम०एल० की 12 बोतल की पेटी	रू0 360
3	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275 एम०एल० के 24 पैक की पेटी	रू0 360

नोट– जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे। अन्य धारिता की बीयॅर, वाईन व अल्कोहलिक ब्रेवरेज की बोतलों में एसेसमेन्ट फीस की गणना सम्बन्धित की बोतलों के समानुपातिक आधार पर की जायेगी।

9 **प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्रीः–**

9.1 प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों में विदेशी मदिरा की रू0 400 प्रति बोतल ई०डी०पी० से अधिक ई०डी०पी० की बोतलों/समुद्रपार आयातित समस्त मदिरा/समुद्रपार से आयातित बीयर/समुद्रपार से आयातित वाईन एवं भारत मे बनी बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी।

9.2 प्रदेश के जनपद देहरादून की कालसी तथा चकराता तहसील, जनपद नैनीताल की नैनीताल, बेतालघाट, धारी व कौश्याकोटोली तहसील तथा अन्य 09 पर्वतीय जनपदों में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क रू0 08 लाख (आठ लाख) तथा राज्य के अन्य स्थानों में रू0 15 लाख (पन्द्रह लाख) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क, अनुज्ञापी द्वारा जमा करने पर अनुज्ञापन स्वतः नवीनीकृत हो जायेगा।

9.3 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों को, मदिरा की आपूर्ति जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानो से ही किया जायेगा। दुकानों से मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर हेतु एफ0एल0–36 पास जारी करने का अधिकार सम्बन्धित विदेशी मदिरा दुकान अनुज्ञापी को होगा।

10. **मदिरा दुकानों से मदिरा/बीयॅर की बिक्री की समय अवधिः–**

10.1 राज्य में देशी/विदेशी/बीयॅर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा। नगर निगम क्षेत्र की मदिरा दुकानें रात्रि 11:00 तक खोली जा सकती है।

10.2 जनपद हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी मदिरा की दुकाने, जो दूसरे राज्य की सीमा से 10 कि0मी0 के भीतर अवस्थित हों, के बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा।

11. **मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में:–**

11.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति पर नवीनीकृत होने वाली मदिरा दुकानों पर अवशेष व अविक्रित स्टॉक को अनुज्ञापी आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में बेच सकेगा। यह मदिरा सम्बन्धित अनुज्ञापी के वार्षिक निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड अभिकर एम०जी०डी० के अतिरिक्त होगी।

11.2 यदि नया अनुज्ञापी नियम–11.1 के अनुसार अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का निस्तारण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही वित्तीय वर्ष के 03 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाये।

11.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रारम्भ पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापी को हस्तान्तरित किया जा सकता है, परन्तु नये अनुज्ञापी को देय एम०जी०डी० व अन्य राजस्व जमा करना होगा, जो माह में तय एम०एम०जी०डी० में सम्मिलित होगा।

12 **मदिरा का विक्रय मूल्य:–**

मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर०टी०डी० का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

12.1 **विदेशी मदिरा, बीयॅर व वाईन/आर0टी0डी0**

विदेशी मदिरा, बीयॅर व वाईन/आर0टी0डी0 का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगा:–

क्र०सं०	विवरण
1	ई0डी0पी0 (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पौव्वा) तथा बीयॅर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा।
4	बाण्ड व्यय 50/– रूपये प्रति पेटी
5	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार)
	योग
6	वाणिज्य कर (12%)
	योग .....
7	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम– 2015 की धारा–03 की उपधारा 1,खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
8	महिला सशक्तिकरण, खेल कूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा/बीयर की प्रत्येक बोतल पर रू०01, रू०01, रू०01 (अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू०03) का उपकर (सैस) देय होगा।
9	होलोग्राम/ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
10	एफ0एल0–2 पर लागत मूल्य
11	टी0सी0एस0
12	एम0जी0डी0/ऐसेस्मेन्ट फीस (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार व तथा ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
13	लागत मूल्य
14	फुटकर विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/ आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 12th point
15	अधिकतम बिक्री मूल्य – विदेशी मदिरा के मामले में रू० 10 के गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में यदि नहीं आता है, तो उसे क्रमशः 10 व 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

प्रदेश की मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु न्यूनतम बिक्री मूल्य (एम०एस०पी०) भी निर्धारित किया जाता है जो कि नियम–12.1 के बिन्दु संख्याः 13 के अनुसार दुकान की लागत मूल्य के बराबर होगा।

12.2 **देशी मदिरा**

देशी मदिरा का मूल्य निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगाः–

क्र०सं०	मद
1	शासन द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2	उत्पाद शुल्क (नियम 5.1 के अनुसार)
3	योग (1+2)
4	वाणिज्य कर @ 10%
5	योग (3+4)
6	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
7	योग (5+6)
8	महिला सशक्तिकरण, खेल कूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर रू०01, रू०01, रू०01 (अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू०03) का उपकर (सैस) देय होगा।
9	न्यूनतम गारण्टीड अभिकर (नियम 5.3 के अनुसार)
10	योग (7+8+9)
11	लाभांश @ 20%of 9th point
12	देशी मदिरा का फुटकर मूल्य (रू0 5 के गुणांक में) रू० 05 के गुणांक में यदि अधिकतम फुटकर मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

प्रदेश की मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु न्यूनतम बिक्री मूल्य (एम०एस०पी०) भी निर्धारित किया जाता है जो कि नियम–12.2 के बिन्दु संख्याः 10 के अनुसार दुकान की लागत मूल्य के बराबर होगा।

12.3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष बची मदिरा/बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष जिस में मदिरा/बीयॅर का निर्माण/आयात किया गया हो, की ई0डी0पी0 को आधार मानकर उसमें नये वर्ष हेतु निर्धारित टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार एम0आर0पी0 निर्धारित की जायेगी।

12.4 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एव बीयॅर की दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कम्प्यूटर जनित रसीद दी जायेगी एवं दुकानों में स्वैप मशीन भी रखनी होगी। दुकान पर स्वैप मशीन न रखने एवं बिल न दिये जाने पर न्यूनतम रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) प्रशमन/शास्ति आरोपित की जायेगी।

12.5 विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच इत्यादि की निर्माता इकाईयों व जिनको आपूर्ति के विधिक अधिकार प्राप्त हो के द्वारा देश के किसी दो राज्यों में बिक्री किये जाने वाले ब्राण्डों की बिक्री ही उत्तराखण्ड राज्य में अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड राज्य में आपूर्ति किये जाने वाले ब्राण्डों की ई0डी0पी0 देश में सबसे कम होगी इस आशय का शपथपत्र निर्माता इकाईयों द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं (आसवनी/बॉटलिंग प्लाण्ट) द्वारा कतिपय अपने ब्राण्डों की बिक्री केवल उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही हैं, तो इकाई द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में आसवनी/बॉटलिंग प्लाण्ट अपने ब्रॉण्डस का निर्माण कर उसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में कर सकती है, परन्तु बॉटलिंग प्लॉण्ट यदि किसी अन्य आसवनी की बॉटलिंग कर रही है, तो वह सम्बन्धित आसवनी के ब्रॉण्डस की भराई कर निर्यात अन्य राज्यों हेतु कर सकेंगे, परन्तु राज्य में बिक्री उसी ब्रॉण्ड की कर सकेंगे, जिसकी आपूर्ति नियम–12.5 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण करता हो।

ओवरसीज मदिरा/बीयर/वाईन की ई0डी0पी0 एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य मानी जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि घोषित एक्स कस्टम दर देश में सबसे न्यूनतम हो और इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय वर्ष हेतु किसी आसवक द्वारा अपने ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 में वृद्धि प्रस्तावित की जाती है तो ई0डी0पी0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दी जायेगी।

विदेशी मदिरा उत्पाद कों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी या किसी कस्टम बॉण्ड में सम्बन्धित ओवरसीज ब्राण्ड की एक्स कस्टम दरें कम हैं, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

12.6 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिक्री किये/पाये जाने पर तथा एम0एस0पी0 से कम दर पर बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न दण्ड आरोपित किया जायेगाः–

1. प्रथम उल्लंघन पर पचास हज़ार रूपये (50,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
2. द्वितीय उल्लंघन पर पिच्चहत्तर हज़ार रूपये (75,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
3. तृतीय उल्लंघन पर एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
4. चौथे उल्लंघन एवं उससे अधिक उल्लंघनों पर प्रति उल्लंघन एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।

13. **<u>बार अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–</u>**

13.1 होटल बार लाईसेंस (एफ०एल०–6 (सम्मिश्र) बार) की लाईसेंस फीस 20 कमरों तक रू0 03 लाख व 20 कमरों से अधिक की बार लाईसेंस फीस रू0 05 लाख की जाती है।

13.2 गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी के द्वारा एफ0एल0–06 (समिश्र) बार अनुज्ञापन संचालन हेतु (Out Source करने पर भी) अनुज्ञापन शुल्क में निर्धारित दरों में 50% की छूट अनुमन्य रहेगी।

13.3 होटल बार अनुज्ञापनों को कमरों में मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

13.4 **<u>रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती हैः–</u>**

क्र० सं०	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रू0 में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	रू0 03 लाख
2.	बियर बार	रू0 1.30 लाख
3.	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी को एफ0एल0–07 बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	क्लब बार (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिको हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन (5) प्रेस क्लब हेतु	 रू0 01 लाख रू0 02 लाख रू0 03 लाख रू0 25 हजार रू0 25 हजार

बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 03 वर्ष के लिए कराया जा सकेगा। बार अनुज्ञापनों को तीन वर्ष के लिए एकमुश्त अनुज्ञापन शुल्क जमा कर नवीनीकृत किया जा सकेगा एवं इस सम्बन्ध में 10 प्रतिशत् की छूट अनुज्ञापन शुल्क पर अनुमन्य होगी।

13.5 **ओकजनल बार परमिट (प्रतिदिन)**

1. वैडिंग प्वाइन्ट/ होटल (जिसमें वैडिंग हाल हो)	रू0 5 हजार मात्र
2. निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु	रू0 02 हजार मात्र
3. क्लब (वाणिज्यक् प्रयोजन हेतु)	रू0 10 हजार मात्र
4. रेस्टोरेन्टों हेतु	रू0 20 हजार मात्र

13.6 निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु प्रयोजन को छोड़कर अन्य ओकेजनल बार परमिट हेतु समारोह में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/– (पाँच हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी।

13.7 निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु सम्बन्धित आवेदक ऑनलाईन एफ०एल०–11 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेगा।

13.8 यदि कोई एफ0एल0–11 परमिट धारक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में उसे एफ0एल0–11 परमिट नहीं दिया जायेगा।

13.9 बार से बिक्री की जाने वाली मदिरा के पैग की धारिता 30 एम0एल0 व 60 एम0एल0 निर्धारित की जाती है।

13.10 एक दिवसीय बार अनुज्ञापी आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित निकटवर्ती मदिरा दुकान से मदिरा का उठान करेगा, निकटवर्ती मदिरा दुकान पर मदिरा उपलब्ध न होने पर जिला आबकारी अधिकरी अन्य दुकान मदिरा उठान हेतु आवंटित कर सकेंगे।

13.11 **वैयक्तिक बार हेतु अनुज्ञापनः–**

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली के द्वारा प्रदेश सीमा के भीतर मदिरा फूटकर बिक्री की सीमा निर्धारित की गयी है। पृथक से किसी व्यक्ति के निजी प्रयोग हेतु मदिरा रखने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अतः वर्ष 2023–24 में निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय/परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा। उक्त हेतु निम्न औपचारिकताऐं पूर्ण होना आवश्यक हैः–

1. निजी बार हेतु अनुज्ञापन शुल्क रूपये 12,000 (बारह हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिये नियत होगी।
2. अनुज्ञापन हेतु रूपये 50,000/– (पच्चास हजार) की प्रतिभूति, जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, प्रस्तुत करनी होगी।
3. अनुज्ञापन ऑन लाईन आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
4. अनुज्ञापन किसी व्यक्ति को उसके मूल निवास/किरायेदार होने की दशा में किरायानामा प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जायेगा।
5. आवेदक 05 वर्ष से आयकर दाता हो।
6. आवेदक को निम्न शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगाः–
   (क) किसी अनाधिकृत अथवा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उक्त परिसर में प्रवेश से सुरक्षित रखेगा।
   (ख) परिसर में उत्तराखण्ड राज्य में सिविल में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा के सिवाय अन्य कोई अवैध अथवा अनाधिकृत मदिरा अथवा पदार्थ नहीं रखेगा।
   अनुज्ञापन के अन्तर्गत निम्न अधिकतम मात्रा संचित कर सकेगाः–
   (क) भारत निर्मित विदेशी मदिरा 09 बल्क लीटर तथा इण्डियन स्कॉच 09 बल्क लीटर।
   (ख) ओवरसीज मदिरा 18 बल्क लीटर।
   (ग) वाईन 09 बल्क लीटर।
   (ड) बीयर 15.6 बल्क लीटर।
7. अनुज्ञापन की शर्तो के उल्लंघन पर अनुज्ञापन का निरस्तीकरण तथा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड) के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

8. आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन की शर्तो एवं प्रारूप के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश किये जायेंगे।

14 बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासीः–

14.1 IMFL/RTD/बीयर (भारत में बनी) को बारों में मदिरा की आपूर्ति बारों के पास में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों से ही किया जायेगा तथा अन्य ओवरसीज लीकर/बीयर/वाईन की प्राप्ति नियमों में दी व्यवस्था के अन्तर्गत दी जायेगी। दुकानों से बारों हेतु एफ०एल०–36 पास जारी करने का अधिकार सम्बन्धित विदेशी मदिरा दुकान अनुज्ञापी को होगा।

14.2 बार में वाईन ग्लास में परोसी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्लास में परोसी जाने वाली वाईन को फ्रिज में रखा गया हो तथा उसका उपभोग एक दिवस में कर लिया जाये। यदि किसी कारणवश् एक दिवस में उपभोग सम्भव न हो तो अवशेष वाईन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा तथा नष्ट कर दिया जायेगा।

15 होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हताः–

15.1 बार अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदक को तत्सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप, शर्तें पूर्ण करनी होगी।

15.2 एफ0एल0–6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हज़ार बैंक ड्राफ्ट के रुप मे आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हज़ार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रकिया शुल्क के रुप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

15.3 एफ0एल0–6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार अनुज्ञापन तत्समय प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। उपरोक्त हेतु शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

16 सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंसः–

16.1 सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगेः–

1. जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य।
3. जिला पर्यटन अधिकारी	–	सदस्य।
4. जिला आबकारी अधिकारी	–	सदस्य/सचिव।

उपरोक्त हेतु शासन या आबकारी आयुक्त की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

16.2 सीजनल बार हेतु समिति मुख्यतः बार की स्थिति, शान्ति व्यवस्था, होटल/रेस्टोरेन्ट की पात्रता/भोजन का स्तर, पार्किंग की व्यवस्था, बार कक्ष में 20 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था तथा पुरूषों व महिलाओं हेतु अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्णय लेगी।

16.3 उक्त सीजनल बारों को मदिरा की आपूर्ति सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों से ही किया जायेगा। दुकानों से बारों हेतु एफ०एल०–36 पास जारी करने का अधिकार सम्बन्धित विदेशी मदिरा दुकान अनुज्ञापी को होगा।

16.4 उक्त उल्लिखित रेस्टोरेन्ट बार जिसमें मदिरा व बीयॅर/वाईन परोसी जा सके का अनुज्ञापन शुल्क रु० 03 लाख प्रति छः माह हेतु एवं रेस्टोरेन्ट बार जिनमें केवल बीयॅर व वाईन परोसी जा सके का अनुज्ञापन शुल्क रू0 01 लाख होगा।

17 मद्यनिषेध क्षेत्रों में बार की स्वीकृति के सम्बन्ध मेंः–

प्रदेश में प्रतिबन्धित व अधिसूचित स्थलों में कोई बार अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

18 सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरेंः–

18.1 एफ०एल०–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू० 25000/–अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

18.2 एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

18.2 (a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर

निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित की जायेगीः–

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
		2023–24
1	रू0 50.00 तक	342
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	367
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	392
4	रू0 75.01 से रू0 90.00 तक	435
5	रू0 90.01 से रू0 120.00 तक	495
6	रू0 120.01 से रू0 150.00 तक	540
7	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	550
8	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	600
9	रू0 500.01 से अधिक	625

18.2 (b) रियायती रम पर उत्पाद शुल्क रू0 83.00 प्रति ए0एल0 देय होगा।

18.2 (c) एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बीयर/ब्रीजर (आर0टी0डी0) एवं वाईन की बिक्री पर अभिकर की धनराशि एफ0एल0–5डी के समान देय होगी।

18.3 असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र० सं०	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
		वर्ष 2023–24
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 100 तक ई0डी0पी0 रू0 100 से अधिक	 रू0 120.00 रू0 175.00
(2)	रियायती रम	रू0 70.00
(3)	बियर/वाईन/ब्रीजर (आर0टी0डी0)	एफ0एल0–5डी के समान दर।
(4)	भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल) दरें निम्न प्रकार होंगीः– (क) विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) :– (1) ई0डी0पी0 रू० 100 तक (2) ई0डी0पी0 रू० 100 से अधिक (ख) रियायती रम (ग) बियर/वाईन/ब्रीजर	 रू0 100.00 रू0 155.00 रू0 55.00 एफ0एल0–5डी के दर से 10 रु0 (प्रति पेटी) कम।

18.4 राज्य में स्थित समस्त अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापन की सुविधा अनुमन्य होगी।

18.5 एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर/ब्रीजर एवं वाईन पर अभिकर की धनराशि एफ0एल0–5डी के समान देय होगी।

18.6 ड्राउट बियर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत् दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0 धारिता में केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।

19. <u>राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री</u>:–

19.1 राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच/आर0टी0डी0 इत्यादि के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं जनपद स्थित थोक अनुज्ञापनों (एफ0एल0–2) के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

19.2 बॉण्ड अनुज्ञापनों/एफ0एल0–1 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:–

क्र०सं०	अनुज्ञापन	अनुज्ञापन शुल्क
1	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2	रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/–निर्धारित की जाती है।
2	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2बी	रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/–निर्धारित की जाती है।
3	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2 बी0 आई0 (केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए)/ बी0डब्लयू0एफ0एल0–2 एस० (केवल स्कॉच के लिये) वह भारत में निर्मित मदिरा (सिंगल माल्ट/फ्यूजन/व्हीस्की, इत्यादि जिसकी ई0डी0पी0 रूपये 400/– से अधिक हो) अनुज्ञापन शुल्क	रू0 01 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 150/–निर्धारित की जाती है।
4	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2डबलू	रू0 01 लाख निर्धारित की जाती है।
5	एफ0एल0–1 लाईसेंस फीस	रू0 05 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 10/–निर्धारित की जाती है।

19.3 राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू/2बी (आई) की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स की मदिरा/बियर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0डब्लू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू इत्यादि की न्यूनतम लाईसेंस फीस के 25% अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

19.4 बॉण्ड अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू० 05 लाख रहेगी।

20 **<u>विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०–2/2बी/2एस/ 2डब्ल्यू/ एफ0एल0–2बी (आई)) अनुज्ञापन</u>**:–

20.1 एफ०एल०–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू/एफ0एल0–2बी आई० अनुज्ञापन विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता अथवा ब्रॉण्ड के मालिकाना हक इकाईयों को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

20.2 निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयाँ जो आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हीस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटल्ड विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

20.3 राज्य में थोक विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के अनुज्ञापन (एफ०एल०–2 अनुज्ञापन) हेतु रूपये 15 लाख, एफ०एल०–2बी० अनुज्ञापन के लिए रूपये 12 लाख, एफ०एल०–2 एस०/एफ०एल०–2 डब्ल्यू०/एफ०एल०–2बी० आई० अनुज्ञापन के लिए रूपये 03 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देय होगी।

<u>नोट</u>–प्रतिबन्ध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रूपये 02 लाख देय होगी एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रूपये 01 लाख देय होगी।

20.4 विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित कृत समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी तथा अधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निर्माता इकाई द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा।

20.5 विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के थोक अनुज्ञापन (एफ०एल०–02 अनुज्ञापन) हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू० 01 लाख रहेगी।

20.6 थोक अनुज्ञापनों पर संचित मदिरा के निस्तारण के सम्बन्ध में:– विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण न होने की स्थिति में अनुज्ञापनों के परिसर पर संचित मदिरा को

आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से निम्न समिति द्वारा नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी एवं उस पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित अनुज्ञापी की प्रतिभूति से वसूला जायेगाः–

1. मण्डलीय संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, परिक्षेत्र	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव
3. सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक	सदस्य

21. **राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारणः–**

21.1 राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम रू० 15 लाख के अधीन रहते हुए रू० 03 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञापन शुल्क देय होगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क प्रति ब्राण्ड रू० 05 लाख मात्र निर्धारित किया जाता है।

21.2 राज्य में निर्मित देशी मदिरा के समस्त ब्राण्डों की उपलब्धता के दृष्टिगत देशी मदिरा के निर्माताओं को प्रत्येक जनपद में सी०एल०–2 खोलना अनिवार्य होगा तथा देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापियों की मांग के अनुसार ही देशी मदिरा के निमार्ताओ द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जानी अनिवार्य होगी।

भविष्य में राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत देशी मदिरा की आपूर्ति के नियम प्रख्यापित कर देशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने पर विचार किया जा सकता है।

21.3 देशी मदिरा का उत्पादन केवल ई०एन०ए० से किया जायेगा। ई०एन०ए० क्रय कर देशी मदिरा भराई की अनुमति केवल सहकारी संस्था या उनके द्वारा संचालित आसवनी को अपरिहार्य स्थिति में दी जायेगी।

22 **आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध मेंः–**

आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जाती हैः–

22.1 पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था आवेदक इकाई स्वंय करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

22.2 बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के अधीन अनुज्ञापन जारी किये जायेंगे।

22.3 आसवनी, ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण निम्नवत् रहेगा–

22.3 (a) पी0डी0–33 (आसवनी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू० 05 लाख, बी–20 (ब्रुवरी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू० 03 लाख, एफ0एल0एम0–2 (विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 04 लाख एवं वी–1 (विन्टनरी की स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 5 हजार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

22.3 (b) नियम 22.3 (a) के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 22.3 (a) के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क ही लिया जायेगा।

22.3 (c) विदेशी मदिरा के बॉटलिंग हेतु प्रदत्त एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत अनुज्ञापी शासनादेश संख्या 640/XXIII/2016/04 (55)/2012 देहरादून दिनांकः 23, नवम्बर, 2016 में दिये नियमों के तहत अन्य आसवनी के ब्रॉण्डस की ही बॉटलिंग कर सकेगा।

22.4 राज्य में स्थित ब्रुवरी/वाईनरी अनुज्ञापनों के साथ स्थापित रिजोर्ट में आने वाले अतिथियों को सम्बन्धित ब्रुवरी/वाईनरी अनुज्ञापन के भ्रमण तथा उक्त परिसर में सम्बन्धित बीयॅर/वाईन के Testing हेतु उपभोग पृथक से कक्ष निर्मित कर, सम्बन्धित रिजोर्ट के स्वामी/मैनेजर के अनुरोध पर अनुमति दी जा सकेगी।

23 **आसवनी/ब्रुवरी/बॉटलिंग प्लाण्ट का अनुज्ञापन शुल्कः–**

23.1 आसवनी के पी0डी0–2 अनुज्ञापन शुल्क रू० 240/– प्रति किलो लीटर निर्धारित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापन शुल्क केवल पेय योग्य मदिरा पर ही देय होगा।

23.2 आबकारी अधिनियम में आसवनी से सम्बन्धित Rules Regulating Distillery के नियम–4 के क्रम में उल्लिखित रू0 01 लाख की प्रतिभूति को रू0 05 लाख तथा Uttar Pradesh Brewery Rules-

1961 के नियम–5 के क्रम में उल्लिखित रू0 20 हज़ार की प्रतिभूति को धनराशि रू0 02 लाख रखा जाता है।

23.3 ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है:–

23.3 (a) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलो लीटर तक रू0 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार)

23.3 (b) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार)

23.3 (c) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 07.50 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त देय होगी।

23.4 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रू0 02 प्रति बोतल की दर से निर्धारित किया जाता है।

23.5 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि को रू0 05 लाख निर्धारित की जाती है।

24. **आयात/निर्यात शुल्क**

24.1 ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क रू० 02 प्रति ए0एल निर्धारित किया जाता है।

24.2 बन्द बोतलों में विदेशी मदिरा के निर्यात पर शुल्क रू० 1 प्रति ए0एल0 निर्धारित किया जाता है।

25 **बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु अनुज्ञापन शुल्क/बॉटलिंग शुल्क:–**

25.1 व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान अनुज्ञापन शुल्क देय होगा।

25.2 एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को विदेशी मदिरा की भराई हेतु वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 01 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य मे बिक्री हेतु रू० 10/– प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 2/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा तथा देश से बाहर निर्यात किये जाने वाले मदिरा पर बॉटलिंग फीस रू० 0.50 प्रति ए0एल0 होगी।

25.3 एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में विदेशी मदिरा की भराई पर (बाटलिंग हेतु) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए न्यूनतम रू० 01 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू० 10/–प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 2/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा तथा देश से बाहर निर्यात किये जाने वाले मदिरा पर बॉटलिंग फीस रू० 0.50 प्रति ए0एल0 होगी।

25.4 एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/–(रू० एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग शुल्क निम्नानुसार देय होगी:–

क्र०सं०	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.15 प्रति ब0ली0	रू0 1.15 प्रति ब0ली0

25.5 **बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगी:–**

क्र०सं0	**एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क**	**एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क**
1	रू0 1.07 प्रति ब0ली0	रू0 1.07 प्रति ब0ली0

25.6 **ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगी:–**

क्र०सं०	**बाटलिंग शुल्क**
01	रू0 1.26 प्रति ब0ली0

26. **लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–**

26.1 विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 60,000/- (रूपये साठ हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

26.2 बियर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

26.3 वाईन हेतु रूपये 65,000/–(पैसठ हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

नोट:–उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

26.4 बॉण्ड अनुज्ञापन के माध्यम से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन इत्यादि पर न्यूनतम 70 मि0मी0 X 35 मि0मी0 साईज का सफेद रंग का स्टीकर चस्पा किया जायेगा, जिसपर Legend शासनादेश संख्याः 434/दिनांकः 19.04.2001 के अनुसार मुद्रित किये जायेंगे।

26.5 आपूर्तक इकाई आपूर्ति किये जाने वाले ब्रॉण्डस के लेबिल विभागीय वैबसाईट पर स्वप्रमाणित कर अपलोड करेंगे। लेबिल के नियमानुसार न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

26.6 आपूर्तक इकाई जो बॉण्ड अनुज्ञापन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में ओवरसीज मदिरा/बीयॅर की आपूर्ति कर रहे हैं, वह उपरोक्त नियम–26.1 व 26.2 में दी गयी व्यवस्थानुसार ब्राण्ड पंजीकरण शुल्क अथवा रू० 8 लाख जमा कर अपने समस्त ओवरसीज ब्राण्डस का पंजीकरण करा सकेंगे तथा उक्त के पश्चात् अपने समस्त ओवरसीज ब्रॉण्डस बेच सकेंगे।

26.7 भविष्य में अनुमोदित कराये जाने वाले मदिरा के लेबिल पर आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

27 <u>जिलों में दुकान का स्थान, स्थिति व नई दुकानों का सृजन एवं दुकानों का स्थानान्तरण</u>:–

27.1 जनपद को बिन्दु संख्या–1.1 में दिये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को जनपद में दुकानों की संख्या निर्धारित करने एवं नई दुकान सृजित करने का अधिकार होगा।

27.2 फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी।

27.3 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" में दिनांकः 15.12.2016 एवं 31.03.2017, एस0एल0पी0 सिविल संख्याः 10243 ऑफ 2017 Arrive Safe Society of Chandigarh Verses The Union Territory of Chandigarh & ANR में पारित निर्णय दिनांकः 11.07.2017 तथा M.A. Nos. 470-472/2017/in Civil Appeal No (s). 12164-12166/2016 /State Of Tamil Nadu &Others Vs K. Balu & Others/dt.11.08.2017 में पारित निर्णय के आलोक मे दुकानों की स्थिति निर्धारित की जायेगी। यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाता है कि राज्य में हरिद्वार तथा ऋषिकेश नगर निगम/नगर निकायों के पुनर्सीमांकन के फलस्वरूप उक्त नगरों में मद्यनिषेध क्षेत्र पूर्व में निर्धारित मद्यनिषेध क्षेत्र के अनुसार ही रहेगा।

27.4 <u>किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना</u>:–

27.4 (a) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

27.4 (b) यदि जिले की सीमान्तर्गत कोई मदिरा की दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियम संगत रूप से आबकारी अधिनियम, मदिरा दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली 1968 तथा तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे, परन्तु निर्णय लेने से पूर्व जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे की मदिरा दुकान के स्थानान्तरण से किसी अन्य निकटवर्ती मदिरा की दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित क्षेत्र न होने पाये।

जिलाधिकारी के उक्त आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति आबकारी अधिनियम की धारा–11 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार अपील योजित कर सकता है।

28. <u>मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा/बीयॅर व वाईन की फुटकर बिक्री की सीमा</u>–

देशी/विदेशी तथा बीयॅर की फुटकर दुकानों से मदिरा/बीयॅर/वाईन की फुटकर बिक्री की अधिकतम सीमा (स्वंय के वास्तविक उपभोग हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र०सं०	मदिरा का प्रकार	मात्रा ब0ली0 में
01	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	09 ब0ली0
02	ओवरसीज मदिरा	06 ब0ली0
03	वाईन	09 ब0ली0
04	बीयॅर	7.80 ब0ली0
05	देशी मदिरा	06 ब0ली0

29. **Trace and Track प्रणाली**

राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Trace and Track आधारित किया जायेगा।

30. नियम–29 में दी गयी व्यवस्था के प्रभावी होने तक होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी के स्तर पर भी लगाये जा सकेंगे। बी0आई0ओ0 ब्राण्ड पर होलोग्राम सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक के सम्मुख लगाये जायेगें।
31. मदिरा के उपभोग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जाती है।
32. प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लाण्ट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) बॉण्ड अनुज्ञापन (बी0डब्लू0एफ0एल0–2), बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP-Address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे सम्बन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कन्ट्रोल रूम से नियन्त्रण रखा जा सकेगा।
33. माह अप्रैल, मई व जून में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आगामी माहों (माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है तो वह आगामी माहों (माह जनवरी, फरवरी व मार्च) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। माह फरवरी व मार्च हेतु निर्धारित एम0जी0डी का पूर्व उठान करने पर निर्धारित एम0जी0डी0, जिसकी मदिरा पूर्व में उठायी जायेगी से सम्बन्धित धनराशि नकद जमा करनी होगी। अग्रिम जमा प्रतिभूति के सापेक्ष किसी भी दशा में अग्रिम निकासी नहीं दी जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देयता न होने की स्थिति में उपरोक्त कारण से समायोजन होने से रह गयी अग्रिम प्रतिभूतियों को जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापी को वापस किया जा सकेगा।

नोट–उपरोक्तानुसार माह में निर्धारित मासिक एम0जी0डी0 का अधिकतम 25% तक आगामी माह का कोटा पूर्व में उठाया जा सकता है।

मदिरा के अग्रिम उठान कर लिये जाने के कारण किसी माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित माह में अनुज्ञापी को अतिरिक्त राजस्व जमा कर मदिरा का उठान करना होगा।

34. **सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा के कारणों से न्यूनतम ड्यूटी में छूटः–**

अनुज्ञापन की अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा संबंधी कारणों के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष की मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण, यदि सम्बन्धित अनुज्ञापी तत्समय की अवधि की न्यूनतम गारण्टेड अभिकर की देय धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उक्त अवधि, जिस अवधि में उपरोक्त उल्लिखित कारणों से दुकान बन्द रही है की देय न्यूनतम गारण्टेड अभिकर की धनराशि पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

35. मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनों को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य होगा।
36. वित्तीय वर्ष के मध्य में आबकारी अनुज्ञापनों के संचालन में यदि कोई समस्या आती है, जिसकी व्यवस्था वित्तीय वर्ष में प्रख्यापित नियमावली में न दी गयी हो, तो कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव/सचिव न्याय, सदस्य, प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी सदस्य तथा आबकारी आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। राज्य हित में उक्त समिति राजस्व सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्तावों पर प्रस्ताव के प्राप्त दिन से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर समिति की संस्तुति अन्तिम निर्णय हेतु मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जायेगा।
37. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023–24 के नियम इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।
38. अन्य व्यवस्थायें उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2021–22 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्याः 220 /XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जिला–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ, सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष रोड़, देहरादून तथा 50 प्रतियाँ आबकारी आयुक्त, 15/1 गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वैबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।